संक्षिप्त

प्रायोगिक परीक्षाएं आज से

निवाई। राजकीय कन्या महाविद्यालय में बीए प्रथम, द्वितीय व तृतीय के सेमेस्टर प्रथम, तृतीय व पंचम की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाएं 13 से 16 तक आयोजित होगी। प्राचार्य डॉ प्रीती जैन ने बताया कि सभी छात्राओं को प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। उपस्थित नहीं होने पर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सेमेस्टर तृतीय की परीक्षा 13, सेमेस्टर पंचम की परीक्षा 14, सेमेस्टर प्रथम की परीक्षा 15 व 16 मई को आयोजित होगी।

दो पटवारी निलंबित

निवाई। टीना डाबी ने प्रशासनिक कारणों के चलते दो पटवारियों को निलंबित किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय टोंक से अलग-अलग आदेश जारी हुए गए हैं। आदेश के अनुसार पटवार मंडल कस्बा निवाई प्रथम में कार्यरत पटवारी जीतराम चौधरी को राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसीलदार देवली कार्यालय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पटवार मंडल चैनपुरा में कार्यरत पटवारी मनोज गुर्जर को भी प्रशासनिक कारणों से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में उनका मुख्यालय तहसीलदार अलीगढ़ कार्यालय रहेगा।

डेयरी में अचानक लगी आग

कोटपूतली । कस्बे के बामनवास रोड पर मंगलवार दोपहर बाद भैंरूवाली मंदिर के पास स्थित एक डेयरी में बिजली के स्पार्क से अचानक आग लग गई। दुर्घटना में डेयरी में बंधी 15 भैंस मर गई। दुर्घटना में वहां रखा चारा, अनाज, मोटरसाइकिल, चारा काटने की मशीन समेत पीड़ित डेयरी चालक का घरेलू सामान, नकदी व आभूषण, आटा चक्की, पंखा, कूलर, चारपाई, ट्रैक्टर समेत अन्य सामान भी जलकर खाक हो गया। ग्रामीणों ने तत्परता से पीडित डेयरी चालक व उसके बच्चों को बचा लिया। बताया जा रहा है कि डेयरी संचालक रमेश पुत्र शिवपाल वर्मा यहां दुध बेच कर अपना गुजारा कर रहा था। उसके परिवार में 5 अविवाहित लडकियां एवं 1 पुत्र हैं। सूचना के अनुसार आगजनी की घटना बिजली के स्पार्क से हुई हैं। इस दौरान हवा चलने के कारण आग और भडक उठी। मौके पर दमकल की दो गाड़ियां भी पहुंची।

मारपीट में घायल एसडीआरएफ जवान की 6 घंटे बाद दर्ज हुई एफआईआर

फुलेरा थाने में ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया।

फुलेरा। फुलेरा थाना क्षेत्र में रोडवेज बस में मारपीट का शिकार हुए एसडीआरएफ जवान की रिपोर्ट 6 घंटे बाद दर्ज हुई। गाडोता एसडीआरएफ मुख्यालय में पदस्थ सिनोदिया के पणिहारी निवासी ओमप्रकाश बल्डवाल मंगलवार सुबह काजीपुरा से बस में सवार होकर मुख्यालय जा रहे थे।

फुलेरा पांच बत्ती स्टैंड पर निजी बस ट्रैवल्स के मालिक हीरालाल और अन्य लोग रोडवेज बस में चढ़कर चालक-कंडक्टर से बदतमीजी करने लगे। रोडवेज कर्मियों को बचाने आए ओमप्रकाश पर आरोपियों ने ताबडतोड हमला कर दिया। वह चालक-कंडक्टर के साथ फुलेरा थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ग्रामीणों के सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंचकर विरोध जताने के बाद करीब ढाई बजे पुलिस ने मामला दर्ज किया।

■ फुलेरा थाने में ग्रामीणों के विरोध के बाद हुई कार्रवाई

जैसे जैसे मारपीट की जानकारी ग्रामीणों को मिलती गई वे थाने में एकत्रित होने लगे। पीडित ने मारपीट और 6350 रुपये लूट का मामला दर्ज कराया है। सिनोदिया सरपंच गिरधारी कुल्हरी ने कहा, जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं हैं तो आमजन पुलिस पर कैसे भरोसा करे।

नर्सेज दिवस मनाया

मनोहरपूर। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपूर में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया। कम्पाउंडर नवल असवाल ने बताया कि आधुनिक नर्सिंग की जननी सुश्री फ्लोरेन्स नाईटिंगेल के जन्म दिवस को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के रूप में वर्ष 1974 से लगातार मनाया जाता है, जिन्होंने आधुनिक नर्सिंग की परिकल्पना की थी तथा नर्सेज को चिकित्सा दल के एक अतिमहत्वपूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता दिलवाई थी।

अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज कौन्सिल द्वारा प्रत्येक वर्ष नर्सेज दिवस पर एक थीम प्रदान की जाती है, इस वर्ष की नर्सेज दिवस की थीम अवर नर्सेज-अवर फ्यूचर : एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाईव्ज प्रदान की गई। नवल असवाल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस के कार्यक्रम के दौरान सर्वप्रथम अतिथियों एवं आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा आधुनिक नर्सिंग की जननी सुश्री फ्लोरेन्स नाईटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सुश्री फ्लोरेन्स नाईटिंगेल के जीवन परिचय के बारे में जानकारी सीएचसी प्रभारी नरेंद्र द्वारा प्रदान की गई तथा उनके द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों से उपस्थित नर्सेज को अवगत करवाया।

ताकि वे उनके द्वारा बताये गये मार्ग पर चल कर नर्सिंग व्यवसाय को और अधिक ऊँचाईयों पर ले जा सकें।

MUNICIPAL CORPORATION JAIPUR
(Pandit Deendayal Uppadhyay Bhawan Lalkothi Tonk Jaipur 302015)
No. F-6()DCR-FIRST (J.S)/RO.LIC/N.N.J/2026/1034 Date : 12-05-2026
PUBLIC NOTICE
The licensee M/s/ Indus Tower Limited Jaipur (Particulars of Licensee) has submitted application in this office for granting permission for erection/ installation of telecom tower aboveground telegraph infrastructure on the land or building or location mentioned below :-

Sr. No.	Site ID	Address
1	IN 3538456	On Divider Ankit Path Sector-3 Pratap Nagar, Ward No.95, Sanganer, Jaipur

Therefore, it is hereby informed to all concerned that if, any body has any objection or suggestion on granting permission for installation or establishment of above mentioned telecom infrastructure on the land/location above, he may submit objection or suggestion along with supporting documents before the undersigned during office hours on any working day within 7 days of the publication of this notice.
In absence of any objection/ suggestion within above stipulated time it any be deemed that nobody has objection/suggestion and matter will be disposed off accordingly.
Deputy Commissioner (Revenue-I)
Municipal Corporation, Jaipur

सार्वजनिक सूचनाः कार्यालय नगर निगम जयपुर
(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर-15) (राजस्व- द्वितीय प्रकोष्ठ)
क्रमांकः एफ-6() उपा.राज.-द्वितीय(सा.प्र.)/नगिज./2026/109 दिनांक- 08\05\2026
मूल भूखण्ड संख्या 138, राजापार्क, जयपुर का नगर निगम जयपुर द्वारा श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री चमन लाल कुमार के नाम से क्षेत्रफल 417.85 वर्गमीटर भूमि का पट्टा जारी किया गया था। दिनांक 24.02.2001 को श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री चमनलाल अरोड़ा द्वारा भूखण्ड संख्या 138, रामगली नं. 3, राजापार्क, जयपुर 417.85 वर्गमीटर की वसीयत अपने पुत्र श्री जयदेव कुमार के पक्ष में निष्पादित की गई। दिनांक 31.05.2007 को श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री चमनलाल की मृत्यु हो गई। दिनांक 18.07.2012 को नगर निगम, जयपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 138, राजापार्क, जयपुर क्षेत्रफल 500 वर्गगज का श्री जयदेव कुमार पुत्र श्री चमन लाल कुमार के नाम से नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया। दिनांक 29.11.2015 को श्री जयदेव कुमार पुत्र श्री चमन लाल कुमार (प्रथम पक्ष) श्री विनय कुमार पुत्र श्री जयदेव कुमार (द्वितीय पक्ष) श्री विवेक कुमार पुत्र श्री जयदेव कुमार (तृतीय पक्ष) एवं श्रीमती विधि सूद पत्नी श्री राजू सूद (चतुर्थ पक्ष) द्वारा भूखण्ड संख्या 138 रामगली नं. 3, राजापार्क, जयपुर का पारिवारिक समझौता पत्र का निष्पादन किया गया। दिनांक 16-03-2026 को श्री जय देव कुमार पुत्र श्री चमन लाल कुमार की मृत्यु हो गई। दिनांक 17.04.2026 को 1. श्रीमती सुषमा कुमार पत्नी स्व. श्री जय देव कुमार 2. श्रीमती विधि सूद पुत्री स्व. श्री जयदेव कुमार (पत्नी श्री राजू सूद) द्वारा भूखण्ड संख्या 138, राजापार्क (आदर्श नगर) योजना, जयपुर क्षेत्रफल 417.85 वर्गमीटर में से अपना अविभाजित हिस्सा अपने पुत्र/ भ्राता श्री विनय कुमार एवं श्री विवेक कुमार पुत्रान् स्व. श्री जय देव कुमार के पक्ष में हकत्याग किया गया। आवेदकों द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड पट्टे की प्रति, वसीयतनामा मृत्यु प्रमाण पत्र, नोटेरी पारिवारिक समझौत पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र, अण्डरटेकिंग एवं अन्य दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड का नगर निगम, जयपुर द्वारा श्री विवेक कुमार एवं श्री विनय कुमार पुत्रान् श्री जयदेव कुमार के पक्ष में क्षेत्रफल 500 वर्गगज का नाम हस्तान्तरण जारी किया जाना है। इस नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, राजस्व - द्वितीय) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर ली जावेगी। उपायुक्त (राजस्व-द्वितीय) नगर निगम, जयपुर

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर सिविल न्यायाधीश मुकाम क्रम-3 जयपुर महानगर (प्रथम) जयपुर
श्री हलवाई समिति जयपुर रजि. व अन्य बनाम भगवान सहाय व अन्य
डिग्री बाबत
मुकद्दमा नं. इजराय नं. 8/2021
बनाम-1. श्रीमती लादी देवी पत्नी स्व.श्री राधेश्याम 2. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व.श्री राधेश्याम 3. मनोज जांगिड पुत्र स्व.श्री राधेश्याम 4. सत्यप्रकाश जांगिड पुत्र स्व.श्री राधेश्याम
मुसम्मी.... वल्द... कौम....
साकिन प्लाट नं. ए-54 झालाना मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (राज.)
चूंकि डिक्रीदार ने डिग्री अदालत उपरोक्त मवर्खे... व मुकद्दमें नं....सन् 20... की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में... वार... तारीख 25 माह 5 सन् 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करें।
आज व तारीख 11 माह 5 सन् 2026 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।
रीडर-अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
साधारण प्रारूप
व्यवहार प्रक्रिया संहिता परिशिष्टज संख्याक 4
समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, क्रम संख्या 09 जयपुर महानगर-द्वितीय
अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्याः 226/2026
CIS-28/26
मैसर्स बीएसजी बिल्डकोन बनाम श्रीमती सविता वशिष्ठ
बनाम-
श्रीमती सविता वशिष्ठ सुपुत्री श्री रामबाबू वशिष्ठ, निवासी-322, द्वितीय तल, विनोबा विहार मॉडल टाउन, जगतपुरा, जयपुर-302017 एवं प्लॉट नम्बर बी/253, मालवीय नगर जयपुर (राज.) 302017
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल सलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 30 माह 5 सन् 2026 को 0.30 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई व उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज दिनांक 29/4/26 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)
समक्ष न्यायालय माननीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश, क्रम संख्या 09 जयपुर महानगर-द्वितीय
दीवानी वाद संख्याः 247/2026
C.S. 36/26
मैसर्स बीएसजी बिल्डकोन बनाम श्रीमती सविता वशिष्ठ वाद बाबत निरस्त किये जाने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2024 एवं स्थाई निषेधाज्ञा
बनाम
श्रीमती सविता वशिष्ठ सुपुत्री श्री रामबाबू वशिष्ठ, निवासी-322, द्वितीय तल, विनोबा विहार मॉडल टाउन, जगतपुरा, जयपुर-302017 एवं प्लॉट नम्बर बी/253, मालवीय नगर जयपुर (राज.) 302017
वादी ने आपके विरूद्ध वाद बाबत निरस्त किये जाने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2024 एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए वाद संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में तारीख 30 माह 5 सन् 2026 को दिन में 8 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए समन किया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते है जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सकें या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नो का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो या न हो, अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध कि जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होगें तो वाद की सुनाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह आज दिनांक 29 माह 4 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
वरिष्ठ रीडर
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर द्वितीय
मोहर अदालत

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर सिविल न्यायाधीश मुकाम क्रम-3 जयपुर महानगर (प्रथम) जयपुर
श्री हलवाई समिति रजि. जयपुर व अन्य बनाम राधेश्याम व अन्य
डिग्री बाबत
मुकद्दमा नं. इजराय नं. 8/2009
बनाम-1. श्रीमती लादी देवी पत्नी स्व.श्री राधेश्याम 2. राजू उर्फ राजकुमार पुत्र स्व.श्री राधेश्याम 3. मनोज जांगिड पुत्र स्व.श्री राधेश्याम 4. सत्यप्रकाश जांगिड पुत्र स्व.श्री राधेश्याम
मुसम्मी.... वल्द... कौम....
साकिन प्लाट नं. ए-54 झालाना मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर (राज.)
चूंकि डिक्रीदार ने डिग्री अदालत उपरोक्त मवर्खे... व मुकद्दमें नं....सन् 20... की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में... वार... तारीख 25 माह 5 सन् 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजाजत किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करें।
आज व तारीख 11 माह 5 सन् 2026 व शब्द मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।
रीडर-अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-3 जयपुर महानगर प्रथम
मोहर अदालत

ज्वैलर्स ने कलेक्टर के जरिए पीएम को ज्ञापन भेजा

जयपुर । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमजन से गोल्ड ज्वैलरी न खरीदने के आव्हान पर ज्वैलरी कारोबार से जुडे लोगों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इस वक्तव्य से 5-6 करोड लोगों की रोजी-रोटी, बच्चों की शिक्षा और बैंक लोन चुकाने पर संकट आ जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि आव्हान से ज्वैलरी सेक्टर में निराशा, रोष और गुस्सा है। मांग की गई कि प्रधानमंत्री अपना आव्हान वापस लें। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रभावित लोगों के लिए जीवन निर्वहन भत्ता और व्यापार में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में विदेश से आयातित गोल्ड और गोल्ड ज्वैलरी पर पूर्ण रोक, गोल्ड तस्करी पर सख्ती, ब्रांडेड ज्वेलर्स शोरूम पर नियंत्रण, कारीगरों को गोल्ड शुद्ध करने की अनुमति, जीएसटी और कस्टम टैक्स में कमी, घुमंतु ज्वैलर्स को बाहर माल बेचने की छूट और जेम्स एंड ज्वैलरी व्यापार को ई-वे बिल से बाहर रखने की मांग शामिल है। ज्ञापन देने वालों में त्रिलोकचंद कड़ेल, नितेश जालु, पवन कुमार नारनोली, एडवोकेट मुकेश सोनी, मानसिंह सोनी, राजेश मायच्छ, दिनेश मोसुण, रवि प्रकाश रोडा, विष्णु भामा, दीप प्रकाश रोडा, विजय बैराडिया, मुरारीलाल रोडा, विजय सोनी, बंटी डांवर, एडवोकेट निलेश सोनी, संदीप सोनी, योगेश सोनी, सुनील सोनी, देवकीनंदन सोनी, प्रताप सोनी, अनिल सोनी, धनश्याम सोनी, सत्यनारायण सोनी सहित बड़ी संख्या में ज्वैलर्स मौजूद रहे।

■ पीएम के वक्तव्य से 5-6 करोड़ लोगों की रोजी-रोटी, बच्चों की शिक्षा और बैंक लोन चुकाने पर संकट आ जाएगा मांग की गई कि प्रधानमंत्री अपना आव्हान वापस लें। यदि ऐसा संभव न हो तो प्रभावित लोगों के लिए जीवन निर्वहन भत्ता. मुआवजा दिया जाए

भरतपुर में 5 किलो 882 ग्राम डोडा पोस्त बरामद

भरतपुर (निस)। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 5 किलो 882 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया है। कार्रवाई मथुरा गेट थाना क्षेत्र के गुलाल कुंड इलाके में की गई। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। एसआई होतम सिंह ने बताया कि मथुरा गेट थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि गुलाल कुंड निवासी बाबू सिंह पुत्र मोहन सिंह, जाति लबाना सिख, अवैध मादक पदार्थ लेकर आया हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर दबिश दी। एसआई होतम सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 किलो 882 ग्राम डोडा पोस्त बरामद किया। पुलिस ने आरोपी बाबू सिंह को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि मादक पदार्थ कहां से लाया गया था और इसकी सप्लाई कहां की जानी थी।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

कैबिनेट मंत्री चौधरी ने सुनी जनसमस्याएं

■ चेनपुरा में ग्राम रथ अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित

टोंक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने सोमवार रात्रि को मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चेनपुरा में ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं एवं सुझाव मंत्री के समक्ष रखे।

मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार गांव-गांव तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्राम रथ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीणों को उनका अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। रात्रि चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं से जलदाय मंत्री को अवगत कराया। भीषण गर्मी के मद्देनज़र पीएचईडी मंत्री ने जनसुनवाई के दौरान जलदाय विभाग के अधिकारियों को जलापूर्ति व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध जल कनेक्शनों पर विशेष निगरानी रखने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि आमजन को निर्बाध एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बिजली संबंधी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से जनहित से जुड़े कार्यों में संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। चौधरी ने कहा हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि का मजबूत इको-सिस्टम विकसित करने के लिए कार्य कर रही है।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ. 21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत अपर सिविल न्यायाधीश (दक्षिण) जयपुर महानगर प्रथम मुकाम....
नानगराम बनाम लक्ष्मा देवी व अन्य
डिग्री बाबत
मुकद्दमा नम्बर इजराय साया 10/07
बनाम-
मुसम्मी - (1) श्रीमती रकमा देवी पत्नी श्री शंकरलाल मीणा (2) शंकर लाल मीणा पुत्र श्री नरसिंह लाल मीणा कौम मीणा
साकिन... तहसील जयपुर
साकिन निवासीगण-नीमडीवाला वाला मंदिर के बाहर, सरकारी सडक की भूमि बाई जी की कोठी झालाना डूंगरी जयपुर
चूंकि... ने डिग्री अदालत... मवर्खे... व मुकद्दमें सन् की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत में... वार... तारीख 15 माह 05 सन् 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करें।
आज ब तारीख 12 माह 5 सन् 26 बसब्त मेरे दस्तखत मुहर अदालत के जारी किया गया।
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण) जयपुर महानगर-प्रथम
मोहर अदालत

फुलेरा जंक्शन मार्ग विस्तार पर व्यापारियों का मंथन

■ व्यापारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा फुलेरा जंक्शन पर कराए जा रहे विकास और विस्तार कार्यों के लिए आभार जताया।

फुलेरा। व्यापार महासंघ फुलेरा की ओर से सोमवार को रामद्वारा परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक महासंघ अध्यक्ष मनोज आहुजा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। सभा में फुलेरा जंक्शन के आवागमन मार्ग को चौड़ा करने के विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। व्यापारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा फुलेरा जंक्शन पर कराए जा रहे विकास और विस्तार कार्यों के लिए आभार जताया। व्यापारियों ने कहा कि जंक्शन पर लगातार बढ़ रहे यातायात के कारण वर्तमान मार्ग अब संकरा पड़ने लगा है। रेल विभाग की ओर से भी इस मार्ग को चौड़ा करने के संबंध में स्थानीय नगरपालिका को पत्र लिखा जा चुका है। व्यापार महासंघ ने व्यापारियों की राय एकत्रित कर स्थानीय निकाय को सुझाव देने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की। बैठक में मौजूद व्यापारियों ने अपने-अपने सुझाव रखे। विस्तृत चर्चा के बाद सर्वसम्मति से 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति आगामी चार दिनों में मौके का निरीक्षण कर समाधान संबंधी रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके बाद 17 मई को व्यापार महासंघ की पुनः बैठक आयोजित कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी और सर्वसम्मत निर्णय के बाद व्यापारियों की राय नगरपालिका को सौंपी जाएगी। समिति में विमल जैन, त्रिलोक शर्मा, प्यारे लाल कुमावत, सुरेश मिश्रा, रतन चौधरी, सूजाराम कुमावत, सुरेश रावका और मुकेश सैन को शामिल किया गया है। बैठक में ट्रांसपोर्ट कंपनियों के संचालकों ने भी वर्ष 2021 के बाद किरायों में वृद्धि नहीं होने और बढ़ती महंगाई का मुद्दा उठाया। इस पर व्यापार महासंघ ने पुराने किराया ढांचे की समीक्षा कर वर्तमान दरों में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने पर सहमति जताई। सभा में सुरेश सारस्वत, चिरंजीलाल, इंदरचंद कुमावत, पुरुषोत्तम शर्मा, हरेंद्र कुमावत, निर्मल शर्मा, गुलाबचंद, केपी गगरानी, सोहन जांगिड़, भूपेंद्र गुप्ता, मुकेश गगरानी, राकेश सैन सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

कोटपूतली शहर का निरीक्षण

कोटपूतली। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने मंगलवार को नगर परिषद आयुक्त अरुण शर्मा के साथ कोटपूतली शहर का भ्रमण कर नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, सड़क, नालों एवं सार्वजनिक सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को व्यवस्थाओं में सुधार एवं आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया तथा नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नालों की समय पर सफाई एवं जल निकासी व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि बरसात से पूर्व सभी नालों की साफ-सफाई प्राथमिकता से पूर्ण की जाए। साथ ही शहर की सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स एवं कचरा संठाहण व्यवस्था को व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने शहर में ठेले एवं रेडियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वेंडिंग जोन निर्धारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित किए जाएं, जिससे व्यापारियों एवं नागरिकों दोनों को सुविधा मिल सके। जिला कलेक्टर ने शहर के राठौड़ एवं नगर पालिका सहित विभिन्न पार्कों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति सुधारने के निर्देश दिए।

उन्होंने पार्कों में ओपन जिम, बच्चों के लिए प्लेइंग जोन, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था, आकर्षक वॉल पेंटिंग्स एवं अन्य सौंदर्यीकरण कार्य करवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पार्कों को आमजन विशेषकर बच्चों एवं युवाओं के लिए बेहतर मनोरंजन एवं स्वास्थ्य गतिविधियों का केंद्र बनाया जाए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर ने खड़खड़ी क्षेत्र में निर्माणाधीन जिला खेल स्टेडियम का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कार्य में गति लाते हुए गुणवत्ता के साथ समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने एलबीएस कॉलेज के खेल मैदान का भी निरीक्षण किया तथा खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया।

इस दौरान रनिंग ट्रैक, लांग जम्प, हाई बीम, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने इंडोर हॉल का निरीक्षण करते हुए खेल उपकरण उपलब्ध करवाने तथा कॉलेज प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर खेल सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शहर में स्वच्छता, यातायात, खेल एवं सार्वजनिक सुविधाओं के समुचित विकास के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

खोया पाया

में मुरलीपुरा जाते समय चैक बुक, स्टांप, आधार कार्ड आदि गिर गये है। तीन चैक जिस पर (1), चैक नं. 488682 राशि 2,50,000/-, (2), नं. 488684 राशि 13,00,000/-, (3), नं. 488685 राशि 13,00,000/- लिखे व साईन करें है। 500/- का स्टांप भी मिलने पर सम्पर्क- गिरधारी सिंह पुत्र श्रीफल 7976292016

मेरे प्लाट नं. 20 (सन्तोष कुमार बुनकर) गणेश वाटिका बोराज, सिरोही ग्रह नि.स.स., प्लाट नं. 206 (धन्नालाल रैगर), प्लॉट नं. 231 (रेखा कोशिक) शिव सागर, नाडिया सिरसी दी सांगानेर को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी द्वारा जारी पट्टे साईट प्लान, रसीद, एग्रीमेन्ट, स्टाम्प पेपर गुम गये मिलने पर सूचित करें। डा. एस.एन. बासना 9001745610

नम्बर मिलाइए 8890333139

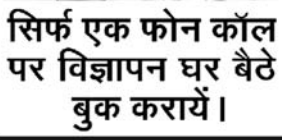

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

KOTA BUS SERVICES LIMITED
Nagar Nigam, New Administrative Building Rajeev Gandhi Bhawan, Dushera Maidan, Kishor Pura, KOTA, E-mail: kbslcitybus@gmail.com
Ref. No. :- KBSL/NNK/2025-26/1334-1351 Date:- 07/05/2026
निविदा शुद्धिपत्र
के.बी.एस.एल कोटा द्वारा मंत्रालयिक कार्मिक, गार्ड एवं परिचालको की आपूर्ती हेतु ई बोली सूचना सं. 01/2025-26 निविदा क्रमांक KBSL/NNK/2025-26/1315-1322 दिनांक 05.05.2026 को जारी की गई थी। जिसमें निम्न प्रकार आंशिक संशोधन किया जाता है-
BOQ में कर्मचारीयों की संख्या 235 अंकित की गई है इसके स्थान पर 259 कर्मचारी (18 लिपिक, 6 गार्ड एवं 235 परिचालक) पढ़ा जावे, एवं BOQ में "सर्विस चार्ज प्रति श्रमिक प्रतिदिन संवेदक द्वारा अंकित किया जाने वाली दर सर्विस चार्ज न्यूनतम मजदूरी दर रूपये 25 रूपये जो ऋणात्मक व शून्य मान्य नही होगा" इसके स्थान पर "सर्विस चार्ज प्रति श्रमिक प्रति दिन (संवेदक द्वारा अंकित किये जाने वाली दर) सर्विस चार्ज दर रूपये.......... जो ऋणात्मक / शून्य मान्य नहीं होगी" पढ़ा जावे।
निविदा प्रकाशित दिनांक 05.05.2026 के स्थान पर 06.05.2026, निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 26.05.2026 को सांय 6.00 बजे के स्थान पर 28.05.2026 को सांय 6.00 बजे तक एवं तकनीकी बिड खोलने की दिनांक 27.05.2026 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर 29.05.2026 को सांय 4.00 बजे तक पढ़ा जावे।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
के.बी.एस.एल कोटा
राज.संवाद/सी/26/2587

नाम परिवर्तन

मैं विजय कुमार तीर्थनी पुत्र श्री भुगरा मल निवासी 136, असिंद नगर, सांगानेर, जयपुर। मैंने अपना नाम विजय कुमार (VIJAY KUMAR) से बदलकर विजय कुमार तीर्थनी (VIJAY KUMAR TIRTHANI) रख लिया है। भविष्य में मुझे विजय कुमार तीर्थनी (VIJAY KUMAR TIRTHANI) के नाम से जाना जाये।

मैं, श्रीमती मोहनी देवी, पत्नी नं. 6448280P एक्स सिपाही (स्वर्गीय) हनुमानसिंह, निवासी वीपीओ डूंगर दासा, जिला/ नागौर (राजस्थान), पिन-341503, मेरा पुराना नाम मोहानी देवी (MOHANI DEVI) था, जिसे बदलकर मोहनी देवी (MOHNI DEVI) कर लिया। भविष्य में सभी कार्यों में "मोहनी देवी (MOHNI DEVI) नाम से जानी एवं पहचानी जाऊँगी।

मैने अपना नाम इमरान असलम खान से बदलकर सभी उद्देश्यों के लिए इमरान खान रख लिया है। निवासी-3768 कल्याण जी का रास्ता, पांचवां चौराहा, चांदपोल बाजार, जयपुर।

मैने अपना नाम प्रिंसी सुरेश कुमार अग्रवाल से बदलकर प्रिंसी गोयनका पत्नी श्री मनीष गोयनका रख लिया, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावें, मोः 9409384642

छात्र-छात्राओं को कानूनों के प्रति जागरूक किया

भरतपुर जिले में विधिक जागरूकता अभियान के तहत छात्र छात्राओं को बाल विवाह रोक आदि के बारे में जानकारी दी ।

भरतपुर (निस)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार भरतपुर जिले में चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान के तहत विद्यार्थियों को साइबर अपराध, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, पोक्सो कानून एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। विभिन्न विद्यालयों में आयोजित शिविरों में छात्र-छात्राओं को कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा 7 अप्रैल से प्रदेशभर में संचालित विशेष विधिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर की ओर से विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।

यह कार्यक्रम जिला एवं सेशन न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बलजीत सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसी क्रम में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भरतपुर अनुतोष गुप्ता द्वारा राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड मण्डल मुख्यालय भरतपुर में "साइबर अपराध एवं विधिक जागरूकता तथा बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोके, बचपन और भविष्य की रक्षा करें" विषय पर शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव, नकल विरोधी कानून, एंटी रैगिंग कानून एवं पोक्सो अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी गई।

उत्तर पश्चिम रेलवे **आवश्यक सूचना**
पत्र संख्याः-W/350/1 दिनांक 12.05.2026
सर्व सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि जयपुर-दुर्गापुरा के मध्य रेलवे फाटक संख्या-82X (महेश नगर फाटक) KM 216/16-17 को दिनांक 13.05.2026 शाम 21:00 बजे से दिनांक 14.05.2026 सुबह 7:00 बजे तक ट्रैक मरम्मत कार्य हेतु पूर्णरुप से बन्द रहेगा, असुविधा के लिए खेद है। 702-DI/26
हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, करौली
संशोधित प्रेम विज्ञप्ति

क्र.स.	नाम शिशु	उम्र	लिंग	शिशु प्राप्ति स्थल	प्रवेश का माध्यम	शिशु का फोटो
1	दिव्या (रखा गया नाम)	लगभग 25 दिन	F	दिनांक 07.05.2026 की रात्रि को जुंगीनपुरा, हिण्डौन रोड पर खडे ऑटो में	बाल कल्याण समिति, करौली	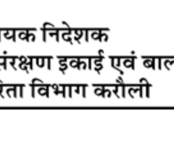

नोटः- उक्त शिशु का पुनर्वास/दत्तक ग्रहण किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 30 दिवस के अंदर कार्यालय अधीक्षक राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेन्सी, वीणा मैमोरियल डिग्री कॉलेज के पास करौली में आकर आपत्ति प्रस्तुत करावें।
दूरभाष नम्बर :- 07464-294625 (9982402482, 9636038008) ई-मेल आईडी adicps-karauli@gov.in
सहायक निदेशक
जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग करौली